

सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र०

7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ-226001

Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांक: 408/सो.आ.नि.-3/497/2019

दिनांक: 28 जून, 2024

प्रेषक,

निदेशक,

सोशल आडिट, उ०प्र०।

सेवा में,

समस्त जिला विकास अधिकारी,

(गाजियाबाद व गौतमबुद्धनगर को छोड़कर),

उत्तर प्रदेश।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में महात्मा गांधी नरेगा योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत जनपदों में सम्पादित की जा रही सोशल आडिट की प्रगति रिपोर्ट के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया निदेशालय के पत्रांक 301/सो.आ.नि.-3/464(II)/2023 दिनांक 06-06-2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम चरण में महात्मा गांधी नरेगा योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत कराए गए कार्यों तथा उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसपी) के अन्तर्गत संचालित योजनाओं का सोशल आडिट कराने हेतु सोशल आडिट कैलेण्डर जारी किया गया है। अवगत कराना है कि जनपदों में सम्पादित की जा रही सोशल आडिट की क्रमिक प्रगति की सूचना प्रत्येक माह की 05 तारीख तक निदेशालय को प्रेषित करने हेतु निर्देश है। भारत सरकार एवं शासन स्तर पर सोशल आडिट की प्रगति की सूचना समय से प्रेषित किए जाने हेतु आवश्यक है जनपदों से सूचना निदेशालय को समय से प्राप्त हो जाए।

अस्तु सोशल आडिट की प्रगति की अद्यतन स्थिति प्रत्येक माह की 5 तारीख तक निम्नांकित प्रारूप पर निदेशालय को प्रेषित की जानी अपेक्षित है:-

Social Audit of MGNREGA- (Status upto _____ 2024) (Cumulative)		
मासांत तक कैलेण्डर निर्गत ग्राम पंचायतों की संख्या-		
1	ग्राम पंचायतों की संख्या, जिनमें मासांत तक सोशल आडिट सम्पन्न कराया गया।	
2	भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रतिवेदनों की संख्या	
3	ग्राम पंचायतों की संख्या, जिनमें अभिलेख प्राप्त नहीं हुए	
4	ग्राम पंचायतों की संख्या, जिनमें पर्यवेक्षक उपस्थित नहीं हुए	
5	सोशल आडिट में इंगित कमियों की संख्या	
6	इंगित कमियों में से बैठक में निस्तारित मामलों की संख्या	
7	बैठक के उपरान्त निस्तारित न हो पाने वाले मामलों की संख्या	

8	वित्तीय अनियमितता में पाई गई कुल धनराशि (रु० में)	
	वित्तीय विचलन में पाई गई कुल धनराशि (रु० में)	
9	वसूल की गई कुल धनराशि (रुपये में)	
10	सोशल आडिट के निष्कर्षों के आधार पर दर्ज एफ०आई०आर० की संख्या	
11	सोशल आडिट के निष्कर्षों के आधार पर कुल अधिकारियों/कर्मचारियों की सं० जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गई	

**Social Audit of Pradhan Mantri Awas Yojna- Gramin (PMAY-G)-
(Status upto 2024) (Cumulative)**


1	ग्राम पंचायतों की संख्या, जिनमें मासांत तक प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का सोशल आडिट सम्पन्न कराया गया।			
2	सत्यापित आवासों की संख्या			
3	सत्यापित आवासों की वर्गवार स्थिति संख्या-			
		एससी	एसटी	अल्पसंख्यक
4	सोशल आडिट में इंगित कमियों की संख्या			
5	इंगित कमियों में से बैठक में निस्तारित मामलों की संख्या			
6	बैठक के उपरान्त निस्तारित न हो पाने वाले मामलों की संख्या			
7	मासान्त तक निस्तारित कुल मामलों की संख्या			
8	दुरुपयोग की गई कुल धनराशि (रुपये में)			
9	वसूली की गई कुल धनराशि (रुपये में)			
10	सोशल आडिट के निष्कर्षों के आधार पर दर्ज एफ०आई०आर० की संख्या			
11	सोशल आडिट के निष्कर्षों के आधार पर कुल अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गई			

**National Social Assistance Programme (NSAP)-
(Status upto 2024) (Cumulative)**

1	ग्राम पंचायतों की संख्या जहाँ NSAP का सोशल आडिट किया गया	
2(a)	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	
(i)	ग्राम पंचायतों में पेंशन लाभार्थियों की संख्या	
(ii)	पेंशन लाभार्थियों की संख्या जिनसे मुलाकात हुई	
(iii)	अपात्र लाभार्थियों की संख्या	
(iv)	सत्यापित लाभार्थियों में मृतक की संख्या	
(v)	वित्तीय अनियमितता की धनराशि	
2(b)	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना	
(i)	ग्राम पंचायतों में लाभार्थियों की संख्या	
(ii)	लाभार्थियों की संख्या जिनसे मुलाकात हुई	
(iii)	अपात्र लाभार्थियों की संख्या	
(iv)	सत्यापित लाभार्थियों में मृतक की संख्या	
(v)	वित्तीय अनियमितता की धनराशि	

अतः उक्त प्रारूपों पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक सम्पादित की जा रही सोशल आडिट की क्रमिक प्रगति की सूचना ई-मेल के माध्यम से भेजने एवं निदेशालय की वेबसाइट www.socialauditup.in पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,


(शरद कुमार सिंह) 28/6/24
निदेशक

पत्रांक- /सो0आ0नि0-3/497/2019 ,तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त जिलाधिकारी, (गाजियाबाद व गौतमबुद्धनगर को छोड़कर), उ0प्र0।
- 2- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, (गाजियाबाद व गौतमबुद्धनगर को छोड़कर), उ0प्र0।
- 3- समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

/
(शरद कुमार सिंह)
निदेशक

